फर्द अहकाम

रेखराम बनाम रामचन्द्र

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 115/17

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/9/19	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30/09/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर
	30/09/19	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का गहनतम अवलोकन किया व अप्रार्थी बयान की बहस के तथ्यों पर मनन किया। गैर रजिस्टर्ड किराये व अनुबंध वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है एवं भूमि ख.नं. 164/1317 विवादित चक व भूमि खसरा नं. 163 पटवारी रि. 3 [illegible] के नाम दर्ज अंकित है जिसमें वादी का किसी प्रकार से किराया व [illegible] नहीं है इसलिए वादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है अतः वाद यही खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया [illegible] [illegible] निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद संख्या :– 115/2013

उनवानः– **रेवडराम व अन्य बनाम सरकार**

1. रेवडराम पुत्र लिखमा (मृतक दौराने वाद)

1/1 गिरधारीलाल पुत्र रेवडराम

1/2 मनोहरलाल पुत्र रेवडराम

2. कजोड पुत्र किशना (मृतक दौराने वाद)

2/1 शंकरलाल पूत्र कजोड

2/2 कानी बेवा कजोड

समस्त जाति मीणा,निवासी ग्राम नागल सुसावतान तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार महोदय आमेर जिला जयपुर।

2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जिला जयपुर।

3 गुल्ला दत्तक पुत्र महादेव (मृतक दौराने वाद)

3/1 प्रभाती बेवा गुल्ला

3/2 मुन्ना पुत्र गुल्ला

3/3 पप्पू पुत्र गुल्ला

3/4 लाला पुत्र गुल्ला

3/5 छोटू पुत्र गुल्ला

4 शंकर पुत्र नेहनू (मृतक दौरान वाद)

4/1 ओमप्रकाश पुत्र शंकर

4/2 चन्दालाल पुत्र शंकर

5 रामला पुत्र नेहनू (मृतक दौरान वाद)

5/1 नानगराम पुत्र रामला

5/2 कालूराम पुत्र रामला

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

5/3 गेंदीलाल पुत्र रामला

5/4 हीरालाल पुत्र रामला

5/5 कल्ली पुत्री रामला

5/6 लछमा पुत्री रामला

5/7 दुर्गा पुत्री रामला

5/8 खुश पुत्री रामला

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नागल सुसावतान तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :- 30-09-19

वादीगण की ओर से ग्राम नागल सुसावतान तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि गत ख.नं. 110 के सन्दर्भ में न्यायालय हाजा में हस्तगत वाद वाद बाबत इस्तकरार हक, दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि **ग्राम नागल सुसावतान** तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर **15** रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, **61** रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, **83** रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, **84** रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, **110** रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कुल खसरा किता 5, कुल ,खसरा किता 5 कुल रकबा 12 बिघा 18 बिस्वा वादीगण रेवड पुत्र लिखमा एवं कजोड पुत्र किशना बहिस्सा रिकार्ड दर्ज रही है। उपरोक्त भूमियों में से ख.न. **110** रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा का सन 1970 के सैटिलमेन्ट में ख.न. 172 कायम कर वादीयान को पर्चा अता किया लेकिन 1970 के सैटिलमेन्ट को लागू नही किया गया और हाल पैमाइश में वादीगण को जो पर्चा दिया गया उसमें ख.न. 110 के दो नये खसरा नम्बर क्रमशः **163** रकबा 0.12 है. एवं 165 रकबा 1.07 है. कुल किता 2 रकबा 1.19 है. बनाया गये। लेकिन पक्का पर्चा में ख.नं. 165 का रकबा 1.04 है. बनाते हुये ख. न. 163 रकबा 0.12 प्रतिवादी सं. 3 लगायत 5 एवं 164/1317 सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि मौके पर वादीगण अपने ख. न. 110 के अनुसार आज भी काबिज है। वादीगण ने उक्त गलत इन्द्राज के मुतालिक समस्या समाधान अभियान में रिकार्ड दरुस्ती हेतु निवेदन किया और इस्तदुआ रही कि वादीयान का पुराने रिकार्ड के अनुसार रकबा कायम किया जावे। लेकिन, उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश के अनुसार बिना वजह कम की गई भूमि को सिवायचक मानते हुये वादीयान का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वादीगण विवादित भूमि ख. न. 110 हाल ख. न. 163 पर आज भी काबिज है तथा काश्त अंजाम,दे रहे है। न तो उक्त भूमि सिवायचक हो सकती है ना ही हाल पैमाइश के सर्वे के दौरान वादीयान के समक्ष जो नक्शा कायम किया गया वह सही किया गया। तत्पश्चात अमीनों ने नक्शे में कांट–छांट करते हुये रकबा दर्ज कर दिया। विपक्षी संख्या 03 लगायत 05 का वादीयान के उक्त खाते व कब्जे की भूमि से कोई सरोकार नही था। सारी कार्यवाही पेशीदा रूप से वादीगण को सुने बिना क्षेत्राधिकार बाहर की कार्यवाही है जिसको दुरूस्त किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

कानूनन वाजिब है। हाल पैमाइश के सर्वे पश्चात नक्शा शीट में कांट–छांट कर अधिकार क्षेत्र के बाहर जाते हुये गलत नक्शा बनाने से विपक्षी संख्या 3 लगायत 5 जबरन वादीयान के जाव में घुसकर वादीगण को परेशान करना चाहते हैं तथा भूमि पर कब्जा कर काश्त करने पर आमादा है हाल ही में उक्त खसरा के लगवा सीव से छेडछाड की कोशिश की। जिस पर वादीगण ने उन्हे ऐसा करने से मना किया तो वें झगडे पर आमादा हो गये। वादीगण आज भी हाल खसरा नम्बर **165** एवं **163** पर काबिज है तथा काश्त अंजाम देते है। वादीगण को कभी किसी न्यायालय द्वारा बेदखल नही किया गया है एवं बदस्तूर खातेदार काश्तकार है। नक्शे एवं रिकार्ड में कांट–छांट से वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी सं 3 लगायत 5 मजाहमत करते है एवं नया नम्बर **164/1317** सिवायचक कायम करने से तहसीलदार दीगर उपभोग में ले सकते है। उक्त भूमि के मुतंलिक 25.08.1998 को तहसील एवं सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अवेधानिक रूप से सिवायचक नोट अंकित करने एवं 01.12.1999 ईस्वी को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 द्वारा मौके पर आकर उक्त खसरा नम्बर पर अपने अधिकार जताने के कारण तथा भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा रिकार्ड में कांट–छांट करने की कार्यवाही को दुरस्त किये जाने हेतु वादीगण द्वारा दफा 80 सी.पी.सी. का दिनांक 10.12.1999 को नोटिस भी दिया गया था। लेकिन दुरस्ती नही की गई, ना ही कोई जवाब दिया गया इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है क्योकि वादीगण की भूमि अनुसार रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा कायम होना आवश्यक है तथा भू–प्रबन्धक विभाग की उक्त कार्यवाही पेशीदा रूप से एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जावें तथा इस्तकरारहक इस अमर का घोषित किया जावें कि आराजी हाल खसरा न. 165 रकबा 1.07 है. वाकै ग्राभ सुसावतान तहसील आमेर जिला जयपुर के वादीयान खातेदार काश्तकार है साथ ही यह भी घोषित किया जावें की **भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ख. न. 163, 165 का नया नम्बर 164/1317 नये सिरे से डालते हुये सिवायचक एवं प्रतिवादी सं 3 लगायत 5 के नाम करने की कार्यवाही नल एण्ड वाईड है।** साथ ही प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 5 को पाबन्द किया जावें कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जे कास्त में दखल न करें, न ही बेदखल करने की कार्यवाही करावें।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के सन्दर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये है–

(1) **असल प्रति**– पर्चा **सिनाफ** दिनांक 07.12.1971 (किता–1)

(2) **सत्यप्रतिलिपि**– जमाबन्दी सम्वत 2054 (किता–1)

(3) **सत्यापित प्रतिलिपि**– जमाबन्दी सम्वत 2026–2029 (किता–1)

(4) **सत्यप्रतिलिपि**– नक्शा ट्रैस दिनांक 29.07.199[illegible] (किता–1)

(5) **सत्यापित प्रतिलिपि (दिनांक 11.06.1999)** – क्षेत्रफल साबिक ख.नं. 163, 164/1317, 165 (हाल ख.नं. 111 मिन, 112 मिन, 1[illegible] मिन, 83 मिन, 84 मिन, 110 मिन) किता–1

(6) **सत्यापित प्रतिलिपि (दिनांक 18.03.1999)** – मिलान क्षैत्रफल साबिक ख.नं. 165 क्षैत्रफल 1.04 (हाल ख.नं. 110 मिन क्षैत्रफल 4 बीघा 12 बिस्वा)किता–1

(7) **असल प्रति**– पर्चा **सिनाफ** दिनांक 28.08.1985 (किता–1)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:41 IST
Reason: SelfAttested

(8) **असल प्रति–** पर्चा लगान ख.नं. 165 (किता–1)

(9) **सत्यापित प्रति–** नोटिस धारा 80 सी.सी

(10) **असल प्रति–** रशीद रजिस्ट्री (किता–3)

(11) **साक्ष्य शपथ पत्र–** वादीगण गीरधारीलाल पुत्र स्व. रेवडराम, मनोहरलाल पुत्र स्व. रेवडराम, शेखरलाल पुत्र स्व. कजोड के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवायें है।

वादपत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं 2 द्वारा अपने जवाब वादपत्र में वर्णित किया गया है कि वादी का यह कथन गलत है कि आराजी ख़सरा नम्बर **15** रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर **61** रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, **83** रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर **84** रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर **110** रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा **कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा** पर वादी की कभी कोई खातेदारी रही हो। खसरा नम्बर **110** रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा सन 1970 में दौराने सैटलमेन्ट वादी के नाम पर दर्ज हुई है तथा उस पर वादी आज दिनांक तक कभी बहैसियत मालिक काबिज रहा उक्त सन्दर्भ में कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है जबकि भूमि पूर्व में भी सिवायचक थी, आज दिनांक तक भी सिवायचक है। भूमि सिवायचक होने की वजह से धारा 54 एल.आर. एक्ट के तहत भूमि राजस्थान जयपुर विकास प्राधिकरण की मिलक़ियत की भूमि है इसलिये उक्त भूमि बहैसियत मालिक जयपुर विकास प्राधिकरण के कब्जे में है। अपने जवाब वादपत्र व बहस में भी अधिवक्ता प्रतिवादी सं 2 द्वारा कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष जो प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती व गलत इन्द्राज के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया था जिसे की उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा खारिज कर दिया गया था उक्त निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेर की क्षेत्राधिकारीता का विषय है क्योकि उपखण्ड अधिकारी सक्षम न्यायालय की परिधि में आते है। यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो कानूनन उक्त आदेश की अपील की जा सकती है जबकि वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के उक्त आदेश की अपील आदिनांक तक नहीं की गई है। जिससे वाद वादी खारित किये जाने योग्य है। वादी का उक्त भूमि पर आज दिनांक तक कोई कब्जा काश्त नही रहा महज न्यायालय की सहानुभूति ग्रहण करने के लिये वादी ने न्यायालय के समक्ष मनगढन्त तथ्य प्रस्तुत किये है जो कि प्रथम दृष्टया खारीज फरमाया जावें। वादी का यह कथन गलत है कि अमीन ने उक्त भूमि का नक्शा गलत तरीके से तरमीम करके वादी को बेदखल किया जा रहा है जबकि वादीगण का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा हैं ना वर्तमान में है अतः वादी का कथन स्वतः ही गलत सिद्ध है। वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष मिथ्या प्रस्तुत कर प्रस्तुत किया गया है। इसलिये भी वाद पत्र खारिज फरमाया जावें। ... गलत अंकित किया गया है कि पूर्व के रिकार्ड में गलत तरीके से कांट–छांट की है जबकि वादी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, जिससे न्यायालय यह माने कि उक्त भूमि पर कही वादी का कोई दखल रहा हो, इसके बतौर राज. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.08.1999 एस.बी सिविल केस नं. 823/1999 यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी सक्षम न्यायालय को किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:41 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

भूमि बाबत कोई निर्णय पारित कर दिया हो तो किसी भी व्यक्ति को राजकीय भूमि पर बतौर एडवरस पजेशन अधिकार प्राप्त नही हो सकते, इसी प्रकार वादी की भूमि को पूर्व में उपखण्ड अधिकारी ने अपने अधिकार में खारिज फरमाया दिया इसलिये उक्त भूमि पर वादी न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है इसलिये भी वादपत्र खारिज योग्य है। वादीगण का यह कथन भी गलत है कि वादीगण ने प्रतिवादी सं. 2 व 1 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस कभी दिया हो। इनके अतिरिक्त उक्त भूमि पूर्व में भी सिवाचक दर्ज थी इस प्रकार वादी को किसी प्रकार का कोई वाद कारण भी उत्पन्न नही हुआ। जिन कारणो से भी वाद खारिज योग्य है। अतः चूकि वादपत्र में लिखे गये तथ्य बेबुनियाद तथ्यों पर आध.रित है एवं भूमि पर आज दिनांक तक वादीगण कब्जा काश्त भी नही रहा है तथा महज न्यायालय का आदेश प्राप्त कर उक्त भूमि पर कब्जा करने की बदनियति रखता है, इसलिये वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते नियमानुसार नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण सं 3 ल. 5 के उपस्थित नही होने से नियमानुसार कार्यवाही के अन्तर्गत उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण सं. 3 ल 5 द्वारा जवाब दावा भी प्रस्तुत नही किया गया।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1 आया वादग्रस्त आराजी गत खसरा नं. 110 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, जिसके हाल ख.नं. 163, 165, 164/1217 वादीगण पैतृक भूमि है जिसे सैटलमेन्ट के कामदार ने गलत रूप के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जिसका वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

–वादीगण

2 आया वादीगण वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड गत अनुसार दर्ज करा राजस्व रिकार्ड दुरस्त कराने का अधिकार है।

–वादीगण

3 आया वादीगण को प्रतिवादीगण 1 ल. 5 को स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिबन्धित कराने का अधिकार है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में दखल ना करें ।

–वादीगण

4 आया वादग्रस्त आराजी के गत ख.नं. 15, 17, 83, [illegible] वाकै ग्राम नागल सुसावतान तहसील आमेर कभी वादीगण व उनके [illegible] ही वादीगण का वाद काश्त रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:41 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादी सं. 2

5 आया वादीगण का वाद बिना काश्त ऑफ एक्सन के होने से खारिज करने योग्य है।

–प्रतिवादी सं. 2

6 अनुतोष

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

वादपत्र में वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ में अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए मौखिक बहस में कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 15, 61, 83, 84, 110 कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा के वादी खातेदार काश्तकार रहे हैं। वादीगण की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमियों में से खसरा नम्बर 110 का भू–प्रबंध कार्यवाही पश्चात भू–प्रबंध विभाग द्वारा तीन नये खसरे 163, 164/1317 व 165 कायम करते हुए भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से भूमि खसरा नम्बर 163 व 164/1317 वादी की खातेदारी में दर्ज ना कर 163 को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के नाम दर्ज कर दी व खसरा नम्बर 164/1317 को सिवायचक दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज की जानी अपेक्षित थी। वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 तक प्रस्तुत किये हैं। उनसे स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज हैं। जिनकी पुष्टि प्रदर्श पी.डब्ल्यू–1, 2, 3 द्वारा मौखिक साक्ष्य में भी होती है। ऐसे में वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 163 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा 164/1317 के रूप में नवीन खसरा के अंकन की कार्यवाही को नल एण्ड वॉइड घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने की प्रार्थना की।

प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने वादी के कथनो का खण्डन करते हुये कथन किया कि उक्त भूमि कभी भी वादी की नही रही। उक्त भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 164/1317 सिवायचक भूमि हैं। जिसमें वादी को किसी प्रकार के हक व अधिकार नही है व खसरा नम्बर 163 में वादी का कब्जा काश्त नही हैं। ऐसे में वादी का वाद खारिज करने की प्रार्थना पत्र की।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी व पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दोनों की ही ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य हेतु समय चाहने के पश्चात् भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत ना करने की वजह से न्यायालय ने प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द किये जाने के आदेश पारित कर दिये।

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी का कथन है कि भूमि खसरा नम्बर 163 वादी के खसरा नम्बर 110 से मिलान क्षेत्रफल अनुसार बनना अंकित किया हैं। परन्तु स्वयं वादी द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया हैं। उसमें भूमि खसरा नम्बर 163, 111, 112 से बनना स्पष्ट हैं जबकि खसरा नम्बर 111 व 112 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज नही है ना ही वादी ने उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं। जहां तक भूमि खसरा नम्बर 164/1317 का प्रश्न है उक्त भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 113, 83, 84, 110 से बनना सिद्ध होता हैं। प्रतिवादी का यह कथन है कि खसरा नम्बर 113 वादी की खातेदारी में दर्ज नही हैं स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भी यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज न होकर अ[illegible] की खा[illegible]र्ज हैं। जिसके संबंध मे वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। [illegible] में [illegible] तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा है कि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा [illegible]दारी गलत दर्ज की गई हो वादी केवल लगान पर्चा के आधार पर खातेदारी चाहता हैं। जब[illegible] वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के लिए वादी को गत जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक थी। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 2 को भी सिद्ध करने का भार वादी पर था चूँकि तनकी संख्या 1 व 2 एक दूसरे की पूर्वक हैं। राजस्व रिकार्ड एवं वादी स्वयं के साक्ष्य एव दस्तावेजों से तनकी संख्या 1 सिद्ध करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:41 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]लक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा[illegible] ट्रेक) आमेर जि., जयपुर

असफल रहा हैं। जब वादी गत नम्बर का ही खातेदार ही नही है तो गत नम्बर से बने हाल नम्बर का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का भी अधिकारी नही हैं। तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी तय किये जाने के पश्चात स्वतः ही तनकी संख्या 2 भी विरूद्ध वादी तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 3 को भी सिद्ध करने का भार वादी को था चूकि तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय की गई है। चूँकि वादी वादअधीन भूमि का खातेदार काश्तकार है ही नही तो उसे अन्य पक्षकार स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधन कराने का अधिकार नही हैं। ऐसे में तनकी संख्या 3 विरूद्ध वादी तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर था।वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादी गत खसरा नम्बर 15, 83, 84, 110 वाके ग्राम नांगल सुसावतान का खातेदार काश्तकार जमाबन्दी सवत 2026 से 2029 में है। परन्तु वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 163 व 164/1317 उक्त नम्बर से न बनकर अन्य नम्बर से ही बने हैं। जिन्हें वादी सिद्ध करने में असफल रहा हैं। उक्त तनकी को प्रतिवादी संख्या 2 भी सिद्ध करने में आंशिक सफल रहा हैं। ऐसे में तनकी संख्या 4 भी विरूद्ध वादी व प्रतिवादी संख्या 2 तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर था।चूँकि वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट था कि उक्त भूमि का पर्चा वादी के नाम जारी किया गया था।जिसके आधार पर उसने खातेदारी चाही थी। वादी ने जो दिनांकित घटना अंकित की है उसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का खण्डन व दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं। ऐसे में तनकी संख्या 5 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 1 लगायत 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जा चुका है एवं तनकी संख्या 4 विरूद्ध प्रतिवादी व तनकी संख्या 5 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जा चुकी है।

तनकी संख्या 6 अनुतोष के सम्बन्ध में है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है एवं भूमि खसरा नम्बर 164/1317 सिवायचक व भूमि खसरा नम्बर 163 प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के नाम दर्ज अंकित हैं। जिससे वादी का किसी प्रकार से संबंध व सरोकार नही हैं। इसलिये वादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।अतः वादी का दावा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रेक आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:41:41 IST
Reason: SelfAttested